अपील सूचना अधिकार संख्या 93/2019 (RCMS 2020/00250) विजय शर्मा निवासी मकान नम्बर 03, वार्ड नम्बर 15, पुरानी आबादी, पुलिस थाने के पीछे, श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94143–05548) बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.03.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय शर्मा उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2019 प्रस्तुत करके सात बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.09.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. फाइटर अखबार के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की।
2. रजिस्ट्रेशन में जिन आधारभूत नियमो को फाइटर अखबार में परिवचन दिया है, अपरिवचनों की सूचना एवं परिवचनों की प्रमाणित प्रति।
3. अखबार की दैनिक प्रतियों की वितरण व संचालन की – सूचना।
4. जिस संख्या के अखबार के वितरण व संचालन हेतु अखबार सचांलन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. माह अगस्त 2019 में अखबार वितरण किये गये संख्या की सूचना से सचालंन व वितरण का प्रमाण पत्र की प्रति।
6. फाइटर अखबार के मालिक/सम्पादक का नाम व पद की सूचना।
7. जिन उपभोक्ताओ को घर/दुकान पर अखबार वितरित किया जाता है उसकी संख्या की सूचना व इस आधार का प्रमाण पत्र की सूचना।

श्री रामप्रकाश पुरोहित, सम्बन्धित सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर ने मौखिक रूप से बताया कि उनके अपीलीय अधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सचिवालय परिसर, जयपुर है। उन्होनें अपने पत्रांक 544–45 दिनांक 30.09.2019 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से उत्तर दिया गया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दैनिक समाचार पत्र फाईटर के सम्बन्ध में आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार भिजवाई जा रही है ।

1. बिन्दु संख्या 1 पर चाही गई जानकारी पंजीयन से संबंधित है जिसकी फोटोप्रति भिजवाई जा रही है।
2. बिन्दु संख्या 2 पर रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हुआ है अतः इस कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है।
3. बिन्दु संख्या 3, 4, 5, एवं 7 में प्रतिदिन किस किस को प्रतिया वितरित की, का रिकॉर्ड इस कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया जाता।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. बिन्दु संख्या 6 की जानकारी प्रत्येक समाचार पत्र पर छपी होती है।

-sd-
सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर की सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु प्रथम अपील अधिकारी के रूप में राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सचिवालय परिसर, जयपुर अधिकृत है। **इसलिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रथम अपील की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही है। चूंकि इस न्यायालय को उक्त अपील के प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज जाती है। प्रार्थी चाही गई सूचनाओं से असंतुष्ट हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी** राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, सचिवालय परिसर, जयपुर **के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।**

आदेश की प्रति सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर